

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 06 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 280000/- (दो लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौर, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० चरित्र मांझी, 29, श्री बालेश्वर मांझी, अनु० ज० जाति	श्रीमती शैला देवी(पत्नी)	183/15.5.19	ग्रा०-महसोनी, पो०-बघौर, धा०-हलसी, लखीसराय	30438100 028920	Bank of Baroda, Lakhisarai, BARBOLAK HIS	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
2	स्व० मुसहरू यादव, 49, श्री हुरो यादव, अ० पि० जाति	श्रीमती सुनैना देवी(पत्नी)	182/15.5.19	ग्रा०+पो०-गैरुआ पुरसंडा, धा०-हलसी, लखीसराय	36027734 989	SBI, HALSI, SBIN0004574	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
3	स्व० उमेश साव, 53, श्री वसंत साव, अ० पि० वर्ग	श्रीमती शांति देवी(पत्नी)	181/15.5.19	ग्रा०-निजामपुर, पो०-शार्मटाल, प्र०-बड़हिया, लखीसराय	32423592 613	SBI BARAHIYA, SBIN0002916	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
4	स्व० राजेन्द्र दास, 55, स्व० चण्डी दास, अनु० जाति	श्रीमती लक्ष्मी देवी(पत्नी)	180/15.5.19	ग्रा०+पो०-उरैन, धा०-कजरा, लखीसराय	31080110 056045	BGB URAIN, UCBAORRBBK G	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
5	स्व० उर्मिला देवी, 51, पि० वर्ग	श्री बटोरन साव(पति)	198/27.5.19	ग्रा०-जानकीडीह बेलदरीया, पो०-जानकीडीह, प्र०-चानन, लखीसराय	30664300 619	SBI LAKHISARAI, SBIN0002968	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
6	स्व० प्रमोद कुमार, 49, श्री विशुनदेव प्रसाद, अ० पि० वर्ग	श्रीमती मंजू देवी(पत्नी)	199/27.5.19	ग्रा०-मौ कैलाश नगर लखीसराय, वार्ड नं० 31, प्र०+जि०-लखीसराय	31010110 119412	BGB Lakhisarai, UCBAORRBBK G	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बर्दई मिस्त्री का कार्य
7	स्व० अशोक मलाकार, 44, श्री जंगली मालाकार, अ० पि० वर्ग	श्रीमती उषा देवी(पत्नी)	200/27.5.19	ग्रा०-इन्दुपुर, पो०+धा०-बड़हिया, लखीसराय	35290883 957	SBI BARAHIYA, SBIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर के साथ शिल्पकार के रूप में माला निर्माण का कार्य

कुल :- ₹ 280000/-

(दो लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-07/2019 के पृष्ठ-09/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-07/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-07/2019-214


पटना, दिनांक :- 03-07-19


प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 280000/- (दो लाख अस्सी हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


02/07/19
(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका


03/07/19
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


03/07/19
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।